



प्रेस विज्ञप्ति

13.12.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने 11.12.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मुंबई के निकट पाडघा-बोरीवली क्षेत्र, दिल्ली, कोलकाता, हजारीबाग, प्रयागराज, दमन और रत्नागिरी सहित विभिन्न जिलों और राज्यों में 40 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह अभियान **साकिब नाचन और अन्य** के मामले में आईएसआईएस से जुड़े एक अत्यधिक कट्टरपंथी मॉड्यूल से संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ चल रही जांच के अंतर्गत चलाया गया। तलाशी अभियान के दौरान, **लगभग 9.70 करोड़ रुपये** की चल संपत्ति बरामद कर जब्त की गई, जिसमें **नकद (लगभग 3.70 करोड़ रुपये)** और **सोने के आभूषण (लगभग 6 करोड़ रुपये)** शामिल हैं। इसके अलावा, आरोपियों और संदिग्धों से संबंधित **25 बैंक खाते** फ्रीज कर दिए गए। विभिन्न अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज, कट्टरता को बढ़ावा देने वाला साहित्य, डिजिटल उपकरण आदि भी जब्त किए गए। तलाशी के दौरान आरोपियों और अन्य संदिग्ध व्यक्तियों की विभिन्न अचल संपत्तियों का विवरण और दस्तावेज भी बरामद कर जब्त किए गए।

भारतीय दंड संहिता (ईडी) ने आईपीसी, यूएपीए और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत एनआईए द्वारा आरसी-29/2023/एनआईए/डीएलआई में दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर धन शोधन की जांच शुरू की। जांच में पता चला कि उक्त लोग आईएसआईएस से जुड़े एक अत्यधिक कट्टरपंथी मॉड्यूल का हिस्सा थे और आतंकी मॉड्यूल के संचालन को बनाए रखने के लिए भर्ती, प्रशिक्षण, हथियारों और विस्फोटकों की खरीद और धन एकत्रित करने में शामिल थे। इसके अलावा, मुंबई स्थित एटीएस से खुफिया जानकारी प्राप्त हुई, जिससे पता चला कि इस आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े व्यक्ति अवैध राजस्व-सृजन गतिविधियों में भी शामिल थे, विशेष रूप से खैर (कैथ) लकड़ी की गुप्त कटाई, तस्करी और बिक्री में, जिसकी आय को चरमपंथी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने का संदेह था।

ईडी की जांच में पता चला कि विभिन्न संदिग्धों का इस मामले के आरोपियों के साथ वित्तीय संबंध था, जिनकी पहचान उनके बैंक खातों के विश्लेषण के आधार पर की गई। अपराध की गंभीरता और राष्ट्रीय सुरक्षा को होने वाले खतरे को देखते हुए, आरोपियों, उनके करीबी सहयोगियों और परिवार के सदस्यों से संबंधित परिसरों और आरोपियों के साथ वित्तीय संबंध या संदिग्ध वित्तीय लेनदेन दर्शाने वाली संस्थाओं की तलाशी पीएमएलए के तहत ली गई।

जांच के दौरान हवाला गतिविधियों से संबंधित विवरण भी प्राप्त हुए। इसके अलावा, **ईडी** द्वारा किए गए वित्तीय विश्लेषण में यह खुलासा हुआ कि बोरीवली-पडघा आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े विभिन्न व्यक्ति पडघा-बोरीवली क्षेत्र के आरक्षित वन क्षेत्रों से कैथ वृक्षों की अवैध कटाई और तस्करी में शामिल थे। इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए, कत्था के उत्पादन से जुड़ी विभिन्न कंपनियों/संस्थाओं पर भी तलाशी अभियान चलाया गया, जो संदिग्धों/आरोपियों से कत्था की लकड़ी खरीद रही थीं। तलाशी अभियान के दौरान संदिग्ध कत्था की लकड़ी, जो प्रथम दृष्टया अवैध रूप से प्राप्त की गई थी, बरामद हुई और तदनुसार संबंधित वन विभाग के अधिकारियों को उचित कार्रवाई के लिए सूचित किया गया।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।

